राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग

कमांक : F1 (21) Ш/सिनिवि | 2023 | 68 21

जयपुर दिनांक : 13 10 23

सीमित निविदा सूचना सीमिति निविदा संख्या – 6821/13/18/2023

निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए निम्नलिखित कार्य करवानें के लिए विनिर्माताओं, अधिकृत डीलर, अधिकृत सेवा केन्द्र/थोक विक्रेता, लघु उद्योग इकाईयों से मुहरबंद निविदाएं आमन्त्रित की जाती है:–

कं.सं.	वस्तु / सेवा का नाम	अनुमानित वार्षिक लागत (लाखों में)	निविदा जमा करवाने का अंतिम तिथि एवं समय
1	टोनर रिफलिंग विथ पार्टस (ड्रम,ब्लैड,पीसीआर,मेगनेट आदि) का कार्य	1.90	18.10.2023 समय 1.00 PM

- 1. निविदा की मुख्य शर्तें जिनके अधीन रहते हुये निविदा प्रस्तुत की जानी है निविदा प्रपत्र में वर्णित है जिसे इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 2. निविदादाता को निविदा शर्तों के अधीन रहते हुये संलग्न प्रारूप में अपनी निविदा दरें प्रस्तुत करनी होगी। जो निविदाएं विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन्हें नामंजुर किया जायेगा।
- 3. निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रुप से "टोनर री–फिलिंग कार्य हेतु निविदा' लिखा होगा, दिनांक 18.10.2023 तक या उससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन 3:00 बजे क्रेता समिति या विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष किन्ही ऐसे इच्छुक निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी जो उपस्थित रहेंगे।
- 4. निर्वाचन विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रदद कर सकेगी।
- 5. आरटीपीपी अधिनियम 2012 व आरटीपीपी नियम 2013 निविदा पर प्रभावी रहेगें।

(सुरेश चन्द्र) विशेषाधिकारी

निर्वाचन विभाग राज.जयपुर

जयपुर दिनांक : 13 10 23

कमांक : F1(21) 11 1 मिर्ब / 2023 / 6821 प्रतिलिप :-

1. नोटिस बोर्ड स्थानिय कार्यालय।

2. संबंधित फर्म.....।

3. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार निर्वाचन विभाग राज.जयपुर

निविदा की सामान्य शर्तें

- 1. निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रुप से ''टोनर री–फिलिंग कार्य हेतु निविदा' लिखा होगा, दिनांक 18.10.2023 तक या उससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन 3:00 बजे क्रेता समिति या विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष किन्ही ऐसे इच्छुक निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी जो उपस्थित रहेंगे।
- 2. निर्वाचन विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी।
- 3. जो भी निविदाएं विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
- 4. निविदा प्रपत्र के साथ फर्म / कम्पनी / एजेंसीज / संस्थान का पंजीयन / रिजस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।
- 5. निविदा प्रारुप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- 6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) / उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 7. निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- 8. अनुबन्ध की अविध कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष अथवा एक लाख नब्बे हजार की सीमा समाप्त होने तक के लिये होगी। दोनों पक्ष आपसी सहमित से इस अविध को अधिकतम तीन माह के लिये अनुबंधित दरों व शर्तो पर बढ़ा सकेंगे। सात दिन का नोटिस देकर विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।
- 9. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल संकर्मों या सेवाएं देने के लिये उसकी कीमत कम कोट करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तुदनुसार संशोधित की जायेगी।
- 10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाऐगा की उसने प्रदाय की जाने वाले सेवा/माल की शर्तो, विनिर्देशो, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 11. अनुबंधित ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी, फर्म आदि को सबलेट नहीं करेगा।
- 12. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 13. अनुबंध अविध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निर्वाचन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- 14. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

- 15. अनुबंधित फर्म द्वारा लगाए गए किसी कार्मिक/स्टाफ/इंजीनियर की कार्य के दौरान आकिस्मिक दुर्घटना में घायल/अपंग एवं मृत्यु हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार की क्षितिपूर्ति का मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होगी। इसके लिए सरकार व इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 16. अनुबंधित मॉडल्स के प्रिन्टर्स के अतिरिक्त यदि विभाग में नवीन मॉडल्स के प्रिंटर्स स्थापित किये जाते है तो समकक्ष प्रिन्टर्स की दरें नवीन प्रिंटर्स पर लागू होगीं।
- 17. उपर्युक्त शर्तो के अलावा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।
- 18. सफल निविदादाता को नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि डी.डी. / बैकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी।
- 19. निविदादाता का वैध टेन / पेन नम्बर एवं बैंक खाता संख्या होना अनिवार्य है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा में संलग्न की जानी चाहिए।

कार्य संबंधित विशिष्ट शर्ते

- 1. निविदादाता को "टोनर रिफलिंग विथ पार्टस (ड्रम,ब्लैड,पीसीआर,मेगनेट आदि) के कार्य" हेतु अपनी दरें निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी है।
- 2. निविदादाता द्वारा विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जाने वाली दरें सभी कर एवं खर्चों सहित होनी चाहिए अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 3. संविदा धारक द्वारा री-फिलिंग का कार्य संतोषजनक ढ़ंग से नहीं किया गया तो उसे तुरन्त पुनः री-फिलिंग किया जाऐगा जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
- 4. फर्म द्वारा विभाग में टोनर रिफिलिंग संबंधित कार्य की प्रति माह नियमित रूप से जाँच कर प्रभारी अधिकारी (स्टोर) को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 5. प्रिंटर्स रिफिलिंग से संबंधित सभी अनुभागों की रिपोर्ट संतोषजनक पाये जाने पर फर्म को भूगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
- 6. यदि मरम्मत हेतु किसी उपकरण को बाहर ले जाना आवश्यक होगा तो प्रभारी स्टोर की लिखित अनुमति उपरान्त ले जाया जा सकेगा तथा तीन दिन में मरम्मत उपरान्त वापिस लौटाना होगा।
- 7. प्रिंटर्स की रिफिलिंग में प्रयोग की जाने वाली स्याही एवं बदले जाने वाले अन्य पार्ट्स समान मैक / उच्च क्वालिटी के होने चाहिए।
- 8. अनुबन्धित फर्म को विभाग द्वारा अनुबन्ध अविध में आवश्यकतानुसार टोनर री-फिलिंग हेतु लिखित अथवा दूरभाष द्वारा आदेश दिया जायेगा। आदेश देने की तिथि को ही टोनर री-फिलिंग का कार्य पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित अविध में टोनर री-फिलिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रति प्रिंटर प्रतिदिन 100/- रू पेनल्टी लगाई जाएगी, जो आगामी बिल के भुगतान में से काट ली जोयगी।



राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग किती व

सीमित निविदा संख्या :-

1.	टोनर री-फिलिंग	विथ पार्टस	(ड्रम,ब्लैड,पीसीआर,मेगनेट	आदि) क	ार्य हेत्	सीमित निविदा	
					3		

3. किसको सम्बोधित की गयी :- निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर

4. मैं / हम निर्वाचन विभाग द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गयी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

5. निम्नलिखित मदों के लिए दरें निम्न प्रकार होगी:-

क्र. सं.	वस्तु का नाम मय विनिर्देशों के	दर प्रति यूनिट विद जीएसटी				
1	Toner Cartridge 12A for HP Laser Printer रिफिलिंग मय स्याही					
2	Toner Cartridge Laser Printer Samsung 2876ND-116L रिफिलिंग मय स्याही					
3	Toner CartridgeLBP3300N Cannon Printer 308 रिफिलिंग मय स्याही					
4	Toner Cartridge HP 88A रिफिलिंग मय स्याही					
5	Toner Cartridge HP 55A रिफिलिंग मय स्याही					
6	Toner Cartridge 78A for HP Laser Printer 1606dn रिफिलिंग मय स्याही					
7	Toner Cartridge 80A for Laser Printer HP 425dn- रिफिलिंग मय स्याही					
8	Toner Cartridge Laser Printer Ricoh 310 dn Code 407251 रिफिलिंग मय स्याही					
9	Toner Cartridge 30A for hp MFP M227Fdn रिफिलिंग मय स्याही					
10	Toner Cartridge 337 Starter for Cannon Laser Printer रिफिलिंग मय स्याही					
11	Toner Cartridge 77A for MFP M329dw रिफिलिंग मय स्याही					
12	Toner Cartridge 110A for Laser 108W रिफिलिंग मय स्याही					
	Total					

नोट:— उक्त दरें टोनर रि—िफलिंग में आर्वती रूप से काम में आने वाले पार्टस (ड्रम,ब्लैड,पीसीआर,मेगनेट आदि) को सम्मिलित करते हुये है उक्त पार्टस के खराब होने पर इनका रिप्लेसमेंट बिना किसी लागत के फर्म द्वारा किया जायेगा।

		1	
		6	
(V	7	V

निविदादाता के हस्ताक्षर म	ाय सील
чता	
 मोबाईल / टेलीफोन नं	

APPENDIX-A:

GRIEVANCE HANDLING PROCEDURE DURING PROCUREMENT PROCESS

(APPEALS)

(1) Filing an appeal:

- a. If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful in terms of section 27 of the Act, the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bid before the opening of the Financial Bid, an appeal related to the matter of Financial Bid may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
- b. After hearing the parties, the First Appellate Authority shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days of the date filing of the appeal.
- c. If the First Appellate Authority fails to dispose of the appeal within the period 30 days of the date of filing the appeal or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet, within fifteen days. The Second Appellate Authority, after hearing the parties, shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days which shall be final and binding on the parties.

(2) Form and procedure of filing an appeal (Annexed):

(3) Procedure for disposal of appeals:

- a. The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b. On the date-fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-(i) hear all the parties to appeal present before him; and
- c. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- d. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Liv

FORM No. 1 [See rule 83]

	al No of
Befor	
	(First / Second Appellate Authority)
	First Appellate Authority: Secretary, Election Department, GoR
ę	Second Appellate Authority: Princ. Secretary, Election Department, GoR
1.	Particulars of appellant: i. Name of the appellant:
	ii. Official address, if any
2.	iii. Residential address Name and address of the respondent(s): i.
	ii
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4.	If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. 5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: Grounds of appeal:
	(Supported by an affidavit)
7.	Prayer:
	*
Place .	
Date	
	Appellant's Signature

Annexure: 1

Date:

NIB No .:

Alternative No., if permitted:

To,

(Procuring Entity)

Additional Chief Electoral Officer to the Government Office of the Chief Electoral Officer, Election Department, Secretariat, Jaipur (Rajasthan) - 302005

We, the undersigned, declare that:

- a) We have examined and have no reservations to the Bidding Document.
- b) We declare that we fulfil the eligibility in conformity with the bidding document and to offer services for maintenance for computer & assoreries. Replacement of parts will be if required.
- c) Our Bid shall be valid for a period as mentioned in the BDS from the date fixed for the bid submission deadline in accordance with the Bidding Document, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period;
- d) If our Bid is accepted, we commit to obtain a Performance Security in the amount of percent of the Contract Price or shall submit the Performance Security Declaration, as the case may be, for the due performance of the Contract;
- e) We are not participating, as Bidder in more than one Bid for supply of the subject Goods/Matter in this bidding process in the Bidding Document;
- f) Our firm for any part of the Contract have not been debarred by the State Government or the Procuring Entity or a regulatory authority under any applicable law;
- We understand that this Bid, together with your written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed;

Name:					
In the capacity of:					
Signed:	4.				
Date:					
Duly authorised to	sign the Bid f	for and on be	half of:		
Complete Address					
Tel:	Fax:		E-m	ail:	

g,v

Documents to be Submitted (Requirement of Services to be provided)

- 1. GST Registration
- 2. PAN Card No.
- Work orders/ Bills as proof of experience of computer maintance and repair services
 Address Proof

DRAFT AGREEMENT OF CONTRACT FORMAT

(to be mutually signed by selected bidder and procuring entity)

(This agreement shall be executed on the non-judicial stamp-paper)

Agreement

An ag	greement	made						betwe	
(herein	after calle	d "the Supp			70.1			transport agei	
			1 Tarbina	Section 1	2.2			heirs successo	
				4	NACO.			(4)	
			97		100000000000000000000000000000000000000				
(nan	ne of the F	rocuring E	ntity which e	xpressi	on shall, wh	ere the conte	xt so ad	mits, be deem	ied
to inclu	ide his suc	essors in o	ffice and assi	gns) of	the other pa	art.			
WHERE	AS the Pro	curing Entit	v invited Bids	fortra	nsnort service	es certain Go	ods and	Related Servic	20.
viz.,_				noi da	iisporesei vik				
	,			- 1		and has	accepte	ed a Bid by t	the
Supplie	r and	service	provider	for	providing	services	for t	he sum	of
						(amount	in figur	es and wor	ds)
(herein	after "the	Contract P	rice"\					1	
			NESSES AS FO						
1.	In this Ag	reement w	ords and exp	ression	shall have	the same mea	inings as	are respectiv	ely
			he Contract		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM				
2.			ued vide eve					no datedsh	ıall
						t of this Agre	ement.		
3.			II be						
4.								service provid	
								th the Procuri	
	entity to	provide ti	ne Goods an	d Rela	ted Service	s and to rer	nedy de	fects therein	in
5.			ects with the						
3.								d deployment	
								and complet	
						ne bia docum	ent and	as per direction	ns
6.			partment Raja					ian naulad	.:
0.								ion period w	
								percentages	ΟĪ
						pply/install/			
	installatio	n &completion	n of work	me pre	schoed deliv	ery period, suc	cessiui	2.5 %	
	-	Control of the Contro	- HE 1958 SECTION OF THE CONTRACT OF THE CONTR	terree	ding half of t	he prescribed	delivery	5.0 %	
* .			allation & comp			ne presonoca	delivery	3.0 %	
						th of the pre	scribed	7.5 %	-
			ssful installatio						
	Delay ex	ceeding thr	ee fourth of t	he pres	scribed delive	ery period, suc	ccessful	10 %	
D	34		and the state of t			See			11

Note:

- i. Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies/ maintenance services shall be eliminated if it is less than half a day.
- ii. The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.
- iii. If supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the work order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.
- iv. Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods in on account of hindrances beyond the control of supplier
- 7. The RTPP Act, 2012/Rules, 2013 promulgated, their amendments issued by the State Government shall also be the part of this contract agreement.
- 8. The Election department hereby covenants to pay the Supplier and service provider in consideration of the provision of the Goods and Services and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the time and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of the Central and the State Government on the day, month and year first mentioned herein before.

Signed By:	Signed By:
0	()
Designation:,	Designation:
Company:	Election Department, Govt. of Rajasthan
In the presence of:	In the presence of:
0	0
Designation:	Designation:
Company:	Election Department, Govt. of Rajasthan
()	0
Designation:	Designation:
Company:	Election Department, Govt. of Rajasthan

de,v